न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

उन्वान प्रार्थी बनाम प्रतिवादी

मुकदमा नं. उपखण्ड अधिकारी धोद के समक्ष प्रार्थना पत्र

दिनांक 13/4/22 को मेरा पेश्वा व मेरा भाई कि कि मेरा हुआ है कि हमारे पिता की मौत हो गई है वर्तमान में खेत का कोई वारिस नहीं है वकील प्रार्थी का हमारा अधिकार बना रहे और कोई वारिस का खेत पर खातेदार कोई नहीं है पटवारी प्रतिवेदन संख्या 187/2022 अनुसार प्रतिवादी के खातेदार पुत्र नाम पर किया जाने के लिए आदेश दिये जाने की कृपा करें इसके पूर्व कोई पत्रावली चालू नहीं है व वकील प्रार्थी पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner